तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.11.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे बताया कि ग्राम सुभाषनगर के खसरा नंबर 11, खसरा नम्बर 37, खसरा नम्बर 40 व ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 180 तथा ग्राम लूम्बासर के खसरा नम्बर 87 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पेश किया था। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण ने उपरोक्त वर्णित खसरान् में अपने हिससे की घोषणा करवाने हेतु इस्तदुआ चाही थी लेकिन निर्णय टंकण करते समय ग्राम लूम्बासर के खसरा नम्बर 87 रकबा 9.5101 हैक्टेयर, ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 180 रकबा 9.8662 हैक्टेयर, ग्राम सुभाषनगर के खसरा नम्बर 11 रकबा 10.6675 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 18.9393 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 7.0091 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129/3 रकबा 6.2402 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266/5 रकबा 5.9489 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88/3 रकबा 1.9344 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 94/3 रकबा 2.4686 हैक्टेयर भूल से टंकण कर दिया गया। इसलिए उक्त निर्णय में ग्राम ग्राम सुभाषनगर के खसरा नंबर 11, खसरा नम्बर 37, खसरा नम्बर 40 व ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 180 तथा ग्राम लूम्बासर के खसरा नम्बर 87 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित करने का संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वाद के निर्णय में सेवन से ग्राम सुभाषनगर के खसरा नंबर 11, खसरा नम्बर 37, खसरा नम्बर 40 व ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 180 तथा ग्राम लूम्बासर के खसरा नम्बर 87 के स्थान पर ग्राम लूम्बासर के खसरा नम्बर 87 रकबा 9.5101 हैक्टेयर, ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 180 रकबा 9.8662 हैक्टेयर, ग्राम सुभाषनगर के खसरा नम्बर 11 रकबा 10.6675 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 18.9393 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 7.0091 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129/3 रकबा 6.2402 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266/5 रकबा 5.9489 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88/3 रकबा 1.9344 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 94/3 रकबा 2.4686 हैक्टेयर टंकित कर दिया गया जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **आदेश** अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 148/2021 अनवान ओमप्रकाश वगैरा बनाम बुधाराम वगैरा में पारित निर्णय/डिकी दिनांक 03.12.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम लूम्बासर के खसरा नम्बर 87 रकबा 9.5101 हैक्टेयर, ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 180 रकबा 9.8662 हैक्टेयर, ग्राम सुभाषनगर के खसरा नम्बर 11 रकबा 10.6675 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 18.9393 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 7.0091 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129/3 रकबा 6.2402 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266/5 रकबा 5.9489 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88/3 रकबा 1.9344 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 94/3 रकबा 2.4686 हैक्टेयर के स्थान पर ग्राम ग्राम सुभाषनगर के खसरा नम्बर 11 रकबा 10.6675 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 18.9393 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 7.0091 हैक्टेयर, ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 180 रकबा 9.8662 हैक्टेयर तथा ग्राम लूम्बासर के खसरा नम्बर 87 रकबा 9.5101 हैक्टेयर पढा व समझा जावे। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ नत्थी हो। निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर से सरे इजलास सुनाया गया। 21.11.24 (सुखाराम पिण्डेल,R.A.S.) सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) सहायक कलेक्टर (फलोदी)	